न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 03/2024
3. उनवान : भीवाराम पुत्र श्री कुम्मा राम जाति जाट निवासी– ग्राम हिंगोनिया डूंगरी, आला का बास, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर, ग्रामीण राज0।

–प्रार्थी/निगरानीकार

बनाम

1. किशोर पुत्र छोटूराम जाट जाति जाट निवासी हिंगोनिया डूंगरी तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण।
2. सरपंच ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण।

–विपक्षीगण

4. निर्णय दिनांक : 06/09/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री राम सिंह निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी गैर निगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हिंगोनिया डूंगरी, आला का बास, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण में निगरानीकार के पुश्तैनी कब्जे की भूमि पर प्रार्थी का पुख्ता डंडा बना हुआ है, जिसमें गोबर, पत्थर इत्यादि पड़े हुए है, जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने पट्टा क्रमांक 157 दिनांक 07.06.1986 जारी करवा लिया जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही निगरानीकार की कब्जा तथा पट्टाशुदा भूमि है। पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा पंचायत रजिस्टर में कही भी अंकन/दर्जशुदा नहीं है। उक्त पट्टा प्राप्त करने बाबत् गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही पट्टे बाबत् पंचों की कमेटी बना कर मौका निरीक्षण किया गया, ना ही कोई आपत्ति नोटिस जारी किया गया। उक्त पट्टा संख्या 157 के बाबत् प्रार्थी आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा ना ही अपना पुश्तैनी कब्जा साबित करने का दस्तावेज ही प्रस्तुत किया। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया। दिनांक 30.07.2023 को गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के आवंटनशुदा भूखण्ड पर कब्जा करने की कुचेष्टा की गई जिस बाबत् एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जोबनेर में भी दी गई। तत्पश्चात् निगरानीधीन पट्टे की नकल बाबत् आवेदन ग्राम पंचायत में किया गया जिस पर नकल प्राप्त नहीं हुई। सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी को ग्राम पंचायत से दिनांक 05.10.2023 को नकल प्राप्त होने पर निगरानी अन्दर मियाद पेश की गई।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास, प.स. पंचायत सांभर हाल जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण दिनांक 07.06.1986 व 21.06.1986 को जारी पट्टा संख्या 157 को खारिज किया जावे।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है कि दिनांक 30.07.2023 को गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के आवंटनशुदा भूखण्ड पर कब्जा करने की कुचेष्टा की गई जिस बाबत् एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जोबनेर में भी दी गई। तत्पश्चात् निगरानीधीन पट्टे की नकल बाबत् आवेदन ग्राम पंचायत में किया गया जिस पर नकल प्राप्त नहीं हुई। सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी को ग्राम पंचायत से दिनांक 05.10.2023 को नकल प्राप्त होने पर निगरानी अन्दर मियाद पेश की गई। उक्त मामला

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

गंभीर प्रकृति का है जिसमें न्याय एवं कानून की मंशा अनुसार मियाद का बिन्दु गौण है और गंभीर मामले मे मियाद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाये जाने की न्यायिक मंशा है। अतः निगरानी प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर निगरानी को जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश फरमावें।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र एवं निगरानीधीन पट्टे की प्रति पेश की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकारान की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी उपस्थित हुए।

निगरानी के संदर्भ में गैर निगरानीकारान की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि पट्टा संख्या 157 जवाबदाता के मौके कब्जे अनुसार जारी किया हुआ है। निगरानीकार को कोई कब्जा व स्वामित्व पट्टा संख्या 157 निगरानीकार के हक मे जारी नहीं हुआ, जवाबदातागण को मौके पर कब्जे अनुसार जारी किया हुआ है। जवाबदाता को उसके पुश्तैनी कब्जे अनुसार 45X45 वर्ग फीट का पट्टा विधि सम्मत् जारी किया है। निगरानीकार को पट्टा जारी होने की जानकारी बाबत् सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत होना बताया है जबकि उक्त पट्टे की मात्र फोटो प्रति संलग्न की गई है। उक्त प्रति कहां से प्राप्त की, उल्लेखित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार के हक में कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है। गैर निगरानीकार संख्या 3 को जानकारी होने पर कि गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा व स्वामित्व उक्त भूखण्ड पर है तथा उनके नाम से पंचायत द्वारा विधि सम्मत पट्टा जारी है, ऐसी स्थिति में निगरानीकार को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। निगरानीधीन पट्टे की जानकारी निगरानीकार को शुरू से रही है। निगरानीकार ने नकल आवेदन दिनांक, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिनांक आदि का अंकन नहीं है, निगरानीधीन पट्टे के प्रति प्रमाणित नहीं है। निगरानीकार ने अपने पट्टे में स्वयं को ग्राम हिंगोनिया डूंगरी, आला का बास का निवासी बताया है जबकि ग्राम हिंगोनिया अलग ग्राम है तथा आला का बास ग्रा.पं सुन्दरियावास में स्थित है। निगरानीकार ने पट्टा संख्या 157, 173, 198 के स्थान पर स्वयं का पट्टा संख्या 57 दो अलग–अलग भूखण्डों को शामिल कर संयुक्त रूप से कुल क्षेफल 457.77 वर्गगज का पट्टा जारी होना बताकर अपना आधिपत्य जताने की गरज से पट्टा संख्या 57 जारी गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा बताया है जबकि गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा कोई पट्टा निगरानीकार के हक में जारी नहीं किया गया है। केवल मिथ्या दस्तावेज/पट्टा तैयार कर असल के रूप में जारी होने का पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय सिविल कोर्ट किशनगढ रेनवाल में पेश किया। उक्त वाद में उक्त भूखण्डों का जिस प्रकार से उल्लेख किया है, वह गैर निगरानीकार को जारी पट्टे के विपरीत दिशाएं अंकित की गई है। मौके पर उक्त अपीलाधीन पट्टे की जगह दुकाने मय विद्युत कनेक्शन संचालित है उनमें से कुछ दुकानों का एवं खाली भूखण्डों में से विक्रय होना एवं क्रेताओं को बिना पक्षकार बनाये निगरानी पेश की गई है।

अतः गैर निगरानीकारान का जवाब स्वीकार कर निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकार की कब्जेशुदा गैर निगरानीकार संख्या 1 ने पट्टा जारी करवा लिया। पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा पंचायत रजिस्टर में कही भी अंकन/दर्जशुदा नहीं है। पट्टा प्राप्त करने बाबत गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही पट्टे बाबत पंचों की कमेटी बना कर मौका निरीक्षण किया गया, ना ही कोई आपत्ति नोटिस जारी किया गया। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर

अतिरिक्त कलक्टर

मियाद पेश की गई। अतः दिनांक 07.06.1986 व 21.06.1986 को जारी पट्टा संख्या 157 को खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकारान ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार के हक में कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है। गैर निगरानीकार संख्या 3 को जानकारी होने पर कि गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा व स्वामित्व उक्त भूखण्ड पर है तथा उनके नाम से पंचायत द्वारा विधि सम्मत पट्टा जारी है, ऐसी स्थिति में निगरानीकार को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। गैर निगरानीकार संख्या 2 के वारिसान अपने हिस्से के भूखण्ड का बेचान जरिये विक्रय पत्र सुभाष पुत्र जगदीश व जगदीश प्रसाद जाट व अन्य को कर दिया है, जिस पर मौके पर बाउण्ड्रीवॉल कर कब्जा व स्वामित्व है, जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। निगरानीकार ने पट्टा संख्या 157, 173, 198 के स्थान पर स्वयं का पट्टा संख्या 57 दो अलग–अलग भूखण्डों को शामिल कर संयुक्त रूप से कुल क्षेफल 457.77 वर्गगज का पट्टा जारी होना बताकर अपना आधिपत्य जताने की गरज से पट्टा संख्या 57 जारी गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा बताया है जबकि गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा कोई पट्टा निगरानीकार के हक में जारी नहीं किया गया है। केवल मिथ्या दस्तावेज/पट्टा तैयार कर असल के रूप में जारी होने का पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय सिविल कोर्ट किशनगढ रेनवाल में पेश किया। उक्त वाद में उक्त भूखण्डों का जिस प्रकार से उल्लेख किया है, वह गैर निगरानीकार को जारी पट्टे के विपरीत दिशाएं अंकित की गई हैं। मौके पर उक्त अपीलाधीन पट्टे की जगह दुकाने मय विद्युत कनेक्शन संचालित है उनमें से कुछ दुकानों का एवं खाली भूखण्डों में से विक्रय होना एवं क्रेताओं को बिना पक्षकार बनाये निगरानी पेश की गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत होना बताया है जबकि उक्त पट्टे की मात्र फोटो प्रति संलग्न की गई है। उक्त प्रति कहां से प्राप्त की, उल्लेखित नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में निगरानीधीन पट्टा संख्या 157 दिनांक 07/06/1986 को जारी किया गया है जबकि निगरानीकार द्वारा निगरानी लगभग 37 वर्ष पश्चात पेश की गई। निगरानीकार ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील को देरीना प्रस्तुत करने हेतु कोई स्पष्ट संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपील को वर्ष 1986 से वर्ष 2023 के मध्य 37 वर्ष की दीर्घावधि देरीना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त, स्पष्ट, संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2016(1) Civil Times (Raj) 160 Rajasthan High Court Renu Devi V/s State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition No. 13197 of 2015

"Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994- Sec. 97-Cancellation of patta- Revision filed after 24 years- Act does not provide provisions of limitation- Inordinate delay in filing revision-Revision cannot be entertained-Period of limitation prescribed for civil proceeding may be taken as guidelines-Revision rightly dismissed-Held, Order not interfered with."

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–पट्टा निरस्त करना–निगरानी 24 वर्ष पश्चात् पेश की गयी–अधिनियम में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं–असामान्य विलम्ब–निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती–परिसीमा हेतु सिविल कार्यवाहियों हेतु जो समय सीमा विहित है वही दिशा निर्देशक कारक के रूप में होना चाहिये–निगरानी सही खारिज की गयी–निर्णीत, आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।

Para 6- "It is now well-settled law that while no period of limitation is fixed but in normal course of events the period the party is required for filing a civil proceedings ought to be the guiding factor. It goes without saying that a revisional

अतिरिक्त कलक्टर

jurisdiction conferred by virtue of Section 97 of the Act is discretionary in nature, and therefore, revisional authority while exercising its jurisdiction can very well invoke equitable doctrine namely 'delay defeat equity. Equity favours a vigilant rather than indolent litigant and this being the basic tenet of law, the learned Additional Collector has not committed any jurisdictional error in declining to exercise its revisional jurisdiction."

RRT 2013 (1) पृष्ठ सं0 61 Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer द्वारा 'Bhagwati Kanwar V/s Vikram Singh & Ors' Revision LR I.D. No. 3628/Sikar of 2012 निर्णय दिनांक 13/06/12 के पैरा सं0 15 में अंकित किया है:–

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993(2) एस.सी.सी. 162 पर अवधारित किया है कि

"The law of limitation may operate harshly but it has to be applied with all it's Vigour and the Courts and tribunals cannot come to the aid of whose who sleepover their right and allow the period of limitation expire"

इसी न्यायिक दृष्टांत के पैरा सं0 14 में अंकित किया है "अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2006(2) आर.आर.टी. 1092 के अनुसार तो "without Condoning the delay appeal is not competent" अर्थात विलम्ब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राह्य है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। आर.बी.जे. (14) 2007 एस.सी. 438 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि "When there is no satisfactory reason for condoning delay it cannot be condoned."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। चूँकि निगरानीकार का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः मियाद अवधि कण्डोन न होने के कारण निगरानी चलने योग्य नहीं रहने के कारण निगरानीकार की निगरानी मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है। जब मियाद के बिन्दु पर ही निगरानी को खारिज कर दिया गया है तो निगरानी के सन्दर्भ में गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष देना न्यायोचित नहीं है। तदानुसार निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर